दिनांक 11–12 जनवरी 2016 को वन अधिकारियों की कार्यशाला एवं समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति:– संलग्न सूची के अनुसार : –

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत् किया गया एवं बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

Agenda Item No. 1. (i) एवं (ii) **दैनिक सर्मपण एवं क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन :–**

वन प्रमंडल पदाधिकारी से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर तक के क्षेत्रीय कार्यालयों की मासिक दैनिक समर्पण की अधिकारीवार अद्‌यतन प्रतिवेदन।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के द्वारा समर्पित दैनिकी अद्‌तन पायी गई परन्तु वन्य प्राणी प्रभाग के द्वारा दैनिकी समर्पित करने की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) के द्वारा इस ओर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। (विवरणी संलग्न–अनु0–1)

प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रत्येक माह क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर निरीक्षण की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) के द्वारा विभागीय योजनाओं के समुचित अनुश्रवण तथा कार्य की अच्छी गुणवत्ता हेतु निरीक्षण कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सामाजिक वानिकी प्रमंडलों में पदस्थापित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा दैनिकी नहीं समर्पित किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) के द्वारा सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक सामाजिक वानिकी को निर्देश दिया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारियों (सामाजिक वानिकी) को नियमित रूप से दैनिकी समर्पित करने का आदेश दे। इसका कड़ाई से अनुपालन निश्चित किया जाएं।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों को भी नियमित रूप से दैनिकी समर्पित करना है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी/मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक PTR अपने स्तर से इस संबंध में निर्देश देंगे। जो क्षेत्रीय वन पदाधिकारी नियमित रूप से दैनिकी समर्पित नहीं करेगें उनके विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अ0प्र0मु0व0सं0/सभी मु0व0सं0/सभी क्षे0मु0व0सं0)

1.(iii) - अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, मानव संसाधन द्वारा personal grievance information system के संबंध में कोई कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती है। उन्हे निर्देश दिया गया कि वे विभागीय programmar से यह application एक माह में विकसित करवायें। इस हेतु एक presentation 15.02.2016 को किया जाय।

1.(iv)- रांची शहर को हरा भरा करने हेतु मास्टर प्लान – क्षे0मु0व0सं0, रांची ने अवगत कराया कि रांची शहर मास्टर प्लान नगर निगम के द्वारा तैयार किया जा चुका है। अतः नगर निगम के आयुक्त से मास्टर प्लान प्राप्त कर रांची शहर को हरा भरा करने हेतु expression of intrest तैयार किया जाएंगा। इसमें करीब एक माह का समय लगने की संभावना है।

(अनुपालन– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची)

1. (v) पथ तट रोपण के वृक्षों के दोहन/उपयोग हेतु निती निर्धारण (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग) – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अवगत कराया कि इससे संबंधित प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इसकी समीक्षा करने के उपरांत आवश्यक निर्णय लेने की बात कहीं।

(अनुपालन– प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय)

Agenda Item No. 2

गैर योजना :– आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि की समीक्षा की गई। गैर योजना मद में माह दिसम्बर 2015 तक आवंटित राशि का लगभग 75 प्रतिशत व्यय किया गया है, जो संतोषजनक है। यह व्यय कुल उपबंधित राशि का लगभग 66 प्रतिशत है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जंगली जानवरों से मृत्यु एवं क्षति का मुआवजा भुगतान हेतु रू0 500.00 लाख का उपबंध है, जिसमें रू0 487.10 लाख का आवंटन किया जा चुका है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त आवंटित राशि में से लगभग 79 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) ने अवगत कराया कि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त 2.00 करोड़ रू0 उपलब्ध कराने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में वेतनादि इकाईयों में राशि की आवश्यकता के संदर्भ में पुर्नगणना कर लेने तथा बचने वाली राशि को 31 जनवरी 2016 तक प्रत्यर्पण करने का निर्देश दिया गया है ताकि ससमय सरकार को राशि प्रत्यार्पित किया जा सके।

मजदूरी, मशीन एवं उपकरण, प्रचार/प्रसार/सेमिनार, आपूर्ति एवं सामग्री, व्यवसायिक सेवाएँ, अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण इत्यादि इकाईयों में मांग की जाने वाली राशि से किये जाने वाले कार्यों की विवरणी भेजने हेतु निर्देश दिया गया।

योजना– बैठक में रीजनवार योजना व्यय की समीक्षा की गई। प्रत्येक रीजन में लगभग 50 से 60 प्रतिशत के बीच व्यय हुआ है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने सभी पदाधिकारियों से विमर्शोपरांत निर्देश दिया कि 31.01.2016 तक 80 प्रतिशत 29.02.2016 तक 95 प्रतिशत तथा 15 मार्च तक पूरी राशि व्यय कर ली जाए, ताकि महालेखाकार के निर्देशानुसार 07.04.2016 तक लेखा समर्पण की कार्यवाई की जा सके।

(अनुपालन–सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

Agenda Item No. 3. **वर्ष 2016–17 हेतु योजनाओं की स्वीकृति हेतु स्थल विशेष प्राक्कलन** :–

सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के द्वारा सूचित किया गया कि इसके निमित्त कार्रवाई की जा रही है। 15.02.2016 वर्ष 2016–17 के लिए स्थल विशेष विशिष्ट सूचनाएं उपलब्ध करने की कार्रवाई पूरा करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निर्देश दिया।

Agenda Item No. 4.

वृक्षारोपण के आँकड़े के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास ने अवगत कराया कि अधिकांश स्थनों से आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राप्त हो गए है, जिसकी जाँच की जा रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्राप्त सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

(अनुपालन–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास)

Agenda Item No. 5 :

कुछ कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालयों के सृजन संबंधी कार्यालय आदेश प्राप्त हो गया है। जिन कार्यालयों के सृजन का कार्यालय आदेश प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया ताकि स्वीकृत्यादेश सरकार को भेज कर अस्थायी पदों को स्थायी कराया जा सके।

Agenda Item No. 6 :

NIMS & PIMS से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई । क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने इस संबंध में हो रही कठिनाईयों से अवगत कराया । विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अवगत कराया कि वे एक व्यक्ति को एक माह के लिए प्रतिनियुक्त कर देंगे जो कि NIMS & PIMS में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु कार्रवाई करेंगे । निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण एवं नर्सरी के डाटा संबंधित जो सूचना प्राप्त हो चुकी है उसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एक सप्ताह के अन्दर विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध करा दें ।

(अनुपालन – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची)

(ii) Asset Management application की समीक्षा की गई । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया कि वे अपने – अपने कार्यालयों के सभी Asset की प्रविष्टि दिनांक 31.01.2016 तक निश्चित रूप से कर लें ।

(अनुपालन – सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा गत समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि बहुत सारे पदाधिकारी वाहनों नियमित रूप से लौग बुक नहीं भर रहे हैं। अतः सभी पदाधिकारी को नियमित रूप से लौग बुक को भरने का निर्देश दिया गया ।

(अनुपालन सभी पदाधिकारी जो सराकारी वाहन का इस्तेमाल करते हैं एवं सभी कार्यालय प्रमुख।)

Agenda Item No. 7 & 8

Polygon अपलोडिंग की समीक्षा से स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक मात्र 22 Polygon अपलोड हुए हैं । कुछ वन प्रमण्डल पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि वे उन्हें पार्सवर्ड ई–मेल का नहीं प्राप्त हुए हैं । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने सूचित किया कि जिन्हें भी पासबर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं वे अविलम्ब श्री देवानन्द, प्रोग्रामर से पासबर्ड प्राप्त करें । श्री देवानन्द का मो0 नं0 8935832444 है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने पुनः निर्देश दिया कि वर्ष 2015–16 के अग्रिम कार्य एवं 2015–16 में किये गये समापन कार्य का शत–प्रतिशत Polygon अपलोडिंग का कार्य 28.02.2016 तक पूरा कर लिया जाय ।

(अनुपालन सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जो कि वृक्षारोपण का कार्य करते हैं)

Agenda Item No. 9

(क) कैंपा :कैम्पा योजना एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों, यथा मासिक लेखा, त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये चयनित स्थलो की सूची, उतरजीविता प्रतिवेदन, क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण के बैकलॉग को पूरा करने के लिए 3–वर्षिय कार्य योजना, ई–ग्रिन वॉच पोर्टल पर कैम्पा कार्यो से संबंधित सूचना/पोलीगॉन अपलोडिंग आदि में प्रगति की समीक्षा की गई एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

I. **त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन** : त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (QPRs)के ससमय समर्पित करने की अनिवार्यता को दोहराते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्र0मु0व0सं0 द्वारा निर्देश दिया गया कि वे विहित प्रपत्र में ससमय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित किया करें। यह भी निर्देश दिया गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा ससमय QPR समर्पण एवं समर्पित QPRs की समीक्षा सभी स्तरों पर की जाय और संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के QPRs को समेकित स्वरूप में (ई–मेल से सॉफ्ट कॉपी के साथ) त्रैमास समाप्ति के एक पक्ष के भीतर अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के कार्यालय में भेजा करें।

II. **मासिक लेखा संधारण एवं समर्पण** : मासिक लेखा के ससमय संधारण एवं समर्पण की अनिवार्यता को दोहराते हुये सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को एतदर्थ हिदायत दी गयी। यह भी निर्देश दिया गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा मासिक लेखा संधारण एवं समर्पण की समीक्षा सभी स्तरों पर की जाय और संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा मासिक लेखा संधारण एवं समर्पण का समेकित प्रतिवेदन अगले माह की 10वीं तारीख तक अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के कार्यालय में भेजा करें। अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के द्वारा अवगत कराया गया कि एतदर्थ एक विहित प्रपत्र एक सप्ताह के अंदर परिचालित कर दी जायेगी।

III. **वित्तीय वर्ष 2015–16 में वनरोपण अग्रिम कार्य हेतु स्थल चयन समिति द्वारा चयनित स्थलों की सूची** : वार्षिक कार्य योजना 2015–16 में स्वीकृत वनरोपण अग्रिम कार्य हेतु जिन प्रमंडलों द्वारा चयनित स्थलों की सूची कैंपा कार्यालय को नहीं भेजी गयी है, उसे स्थल चयन समिति की कार्यवाही की प्रति के साथ अगले एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाय। इस संदर्भ में अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्तमान में प्रचलित स्थल सूची के प्रपत्र में वर्किंग सर्किल के कॉलम में कार्य नियोजना के अनुसार वर्किंग सर्किल का पूरा नाम लिखा जाय और उसके बाद दो कॉलम जोड़कर उसमें क्रमशः रोपित किये जानेवाले पौधों की संख्या और प्रजातियों का नाम (यदि कार्य नियोजना में अंकित हो) भी तदनुसार अंकित किया जाय।

IV. **उत्तरजीविता प्रतिवेदन** : प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर माह के आरंभ में संपादित वृक्षारोपणों में जीवित पौधों की गणना कर उत्तरजीविता प्रतिवेदन समर्पण की अनिवार्यता को दोहराते हुये वृक्षारोपण कार्य करनेवाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को एतदर्थ हिदायत दी गयी। यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में उत्तरजीविता प्रतिवेदन समर्पण की समीक्षा सभी स्तरों पर की जाय और संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक समेकित उत्तरजीविता प्रतिवेदन गणना माह की 15वीं तारीख तक अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के कार्यालय में भेजा करें। अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के द्वारा अवगत कराया गया कि एतदर्थ एक विहित प्रपत्र पूर्व में परिचालित किया गया है।

V. **बैकलॉग क्षतिपूरक/दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण (तीन वर्षीय कार्य योजना)** :अभीतक केवल हजारीबाग रीजन से प्राप्त हुआ है। अन्य सभी क्षे0मु0व0सं0/वन्यप्राणी के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले मु0व0सं0 जनवरी, 2016 में यथाशीघ्र भेज दें।

VI. **ई–ग्रीनवॉच पोर्टल** पर कैम्पा अंतर्गत संपादित कार्यो से संबंधित सूचना (Polygon सहित) की सही–सही प्रविष्टि/ अपलोडिंग में तेजी लायी जाय और इसकी पाक्षिक समीक्षा सभी स्तरों पर की जाय। कैम्पा अंतर्गत वर्ष 2015–16 में अबतक संपादित सभी कार्यो से संबंधित सूचना (Polygon सहित) की प्रविष्टि/ अपलोडिंग जनवरी, 2016 में पूरी कर ली जाय और जैसे हीं अग्रिम कार्य पूरा कर लिया जाता है उससे संबंधित सूचना (Polygon सहित) की भी प्रविष्टि/अपलोडिंग कर दी जाय ताकि वर्ष 2015–16 से पोर्टल पर सूचना अद्यतन रहे। इसके पूर्व के कार्यो से संबंधित सभी सूचना (यदि Polygon तैयार नहीं हो तो उसे छोड़कर अन्य सूचना) की प्रविष्टि/अपलोडिंग भी जनवरी, 2016 में पूरी कर ली जाय और शेष Polygons के अपलोडिंग का कार्य फरवरी, 2016 में पूरा कर लिया जाय। Polygons अपलोडिंग के मामले में FSI के comments पर तत्काल ध्यान दिया जाय और Polygons गलत संसूचित होने पर उसे एक सप्ताह में सुधारा जाय। अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य में प्रगति की समीक्षा हेतु एक प्रपत्र शीघ्र हीं परिचालित किया जायेगा।

VII. वार्षिक कार्य योजना 2016–17 के लिए प्रस्ताव 31 जनवरी, 2016 तक उपलब्ध करा दिया जाय।

कैंपा कार्य से संबंधित सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षकके द्वारा अपने अधीनस्थ प्रमंडलादि में वर्ष 2015–16 में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की सतत् समीक्षा की जाय एवं विहित प्रपत्र में समेकित मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अ0प्र0मु0व0सं0, कैंपा के कार्यालय में भेजा जाय। दिसंबर, 2015 का प्रगति प्रतिवेदन अगले एक सप्ताह में भेज दिया जाय।

(ख) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम/ग्रीन इण्डिया मिशन/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/राष्ट्रीय कृषि–वानिकी एवं बाँस मिशन : इन योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

I. सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाय कि इन योजनाओं से संबंधित लेखा का ससमय संधारण किया जा रहा है और उनसे संबंधित सभी वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रतिवेदन, प्रवेश बिंदु कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन, उत्तरजीविता प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदनादि ससमय समर्पित किये जा रहे हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्मरण कराया गया कि भारत सरकार से इन योजनाओं की राशि अथवा उसकी अगली किस्त प्राप्त करने के लिये राज्य के प्रतिवेदनों के ससमय समर्पण की अनिवार्यता होती है।

II. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के वार्षिक कार्य योजना 2016–17 के लिये कार्य प्रस्ताव उचित माध्यम से अ0प्र0मु0व0सं0, एफ0डी0ए0 के कार्यालय में 31 जनवरी, 2016 तक उपलब्ध करा दिया जाय।

III. राष्ट्रीय कृषि–वानिकी एवं बाँस मिशन (अब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा पुर्गठित Mission for Integrated Development of Horticulture का एक component) के अंतर्गत पुनरीक्षित Guidelines (उनके वेबसाईट पर उपलब्ध) के अनुसार वर्ष 2016–17 के लिये योजनाओं का सूत्रण किया जाय और अ0प्र0मु0व0सं0, एफ0डी0ए0 के कार्यालय में 31 जनवरी, 2016 तक उपलब्ध करा दिया जाय।

IV. Bamboo Technical Support Group-ICFRE (BTSG-ICFRE) के द्वारा बाँस संसाधन से संबंधित राष्ट्रीय database तैयार करने के लिये एक वेब–पोर्टल आरंभ किया गया है जिस पर वांछित सूचना की प्रविष्टि हेतु सभी प्रादेशिक/वन्यप्राणी प्रमंडलों का यूजर आई0डी0 अ0प्र0मु0व0सं0, एफ0डी0ए0 के कार्यालय द्वारा सृजित कर दिया गया है जिसकी सूचना Password (परिवर्तनीय) के साथ एक सप्ताह में संसूचित कर दिया जायेगा। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने–अपने प्रमंडल से संबंधित वांछित सूचना की प्रविष्टि 31 जनवरी, 2016 तक उक्त पोर्टल पर कर देंगे।

v. ग्रीन इण्डिया मिशन के अंतर्गत नये L-2 Landscapes के चयन एवं उनके Perspective Plan के निर्माण के संबंध में अ0प्र0मु0व0सं0, एफ0डी0ए0 अ0प्र0मु0व0सं0, एफ0डी0ए0 के द्वारा शीघ्र हीं संबंधित पदाधिकारियों की एक बैठक बुलायी जायेगी।

Agenda Item No.10

वनभूमि अपयोजन संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान ऑनलाईन अपयोजन प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि झारखण्ड राज्य में ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था शुरू होने से अबतक कुल 56 प्रस्ताव निम्नवत् प्राप्त हुए है :–

Status of Online diversion proposals on 10.01.2016		
Sl. No.	**Level**	**No. Of Project**
1	**Stage -I**	**4**
2	**State Government**	**5**
3	**Nodal office**	**8**
4	**CF/CCF**	**4**
5	**DFO**	**18**
6	**User Agency**	**17**
	Total	**56**

इनके विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि मात्र एक तिहाई प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा अग्रसारित की गई है तथा 18 प्रस्ताव वन प्रमंडल के स्तर पर हीं लंबित है। 4 माह से अधिक समय से लंबित प्रस्तावों का प्रमंडलवार व्यौरा निम्नवत् है :–

Sl. No.	Name of Division	Proposal pending at DFO level since						Total
		Sept'14	Dec'14	May'15	June'15	July'15	Aug'15	
1	Ramgarh	4				1		5
2	Bokaro	1					1	2
3	Latehar/ Ranchi	1					1	2
4	Ranchi		1	1				2
5	Jamshedpur			1				1
6	Chatra South				1			1
7	Deoghar				1			1
		6	1	2	2	1	2	14

सुलभ संकेत हेतु कुल प्राप्त प्रस्ताव की विवरणी संलग्न है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, रांची के द्वारा उपरोक्त लंबित प्रस्तावों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन हेतु नाभिक पदाधिकारी एवं सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची ने वैसे सभी वन अपयोजन प्रस्तावों जिस पर वन्यप्राणी प्रभाग से मंतव्य अपेक्षित है पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से वन्यप्राणी पहलू पर अपना स्पष्ट मंतव्य का आग्रह किया जिसके आधार पर उनके द्वारा अभियुक्ति दी जा सके।

(अनुपालन– प्र0मु0व0सं0–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि, विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची/सभी मु0व0सं0/व0सं0/प्रादेशिक व0प्र0पदा0)

Agenda Item No.11:

वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा :– Wild life Conservation की समीक्षा की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निर्देश दिया कि दिनांक 15.02.2016 तक Wild Life Conservation वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित योजनाऐं प्राप्त हो जानी चाहिये । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने इस बात की आवश्यकता बताया कि सिर्फ Protected Area में वन संरक्षण की बात नहीं हो बल्कि संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी संरक्षण का कार्य होना चाहिए । प्रधान मुख्य वन संरक्षण, झारखण्ड, रांची ने इस बात की भी आवश्यकता बताया कि वन्यप्राणी संरक्षक हेतु potential wild life areas में सीमित मात्रा में वन्य प्राणी से जुड़े कार्यों का सम्पादन किया जाय जिसके अन्तर्गत water holes, salt lake इत्यादि रखें जांय और वन्यप्राणी की गिनती का कार्य भी (Census) सम्पादित किया जाय । इसके निर्मित एक योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी के द्वारा तैयार किया जाय।

(अनुपालन– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी)

Agenda Item No.12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास के द्वारा मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निर्देश दिया कि निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर सभी अधिकारी कार्य करें :–

1. सेवा निवृत के उपरांत देय पावनाएँ।
2. विभागीय कार्यवाहियों का निष्पादन।
3. MACP, & ACP के लंबित मामलों का निष्पादन।
4. प्रोन्नति से संबंधित मामलों का निष्पादन।

Agenda Item No.13 (I)

वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2016 तक राजस्व वसूली प्रतिवेदन सबों से प्राप्त है। राजस्व बढ़ाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निर्देश दिया।

Agenda Item No.13 (II)

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति लक्ष्य रू0 600.00 लाख के विरूद्ध माह दिसम्बर 2015 तक मात्र रू0 209.85 लाख ही प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य का 30.92 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये। इसके लिए जप्त वाहनों, काष्ठ पदार्थों इत्यादि की नियमानुसार बिक्री करने का निर्देश दिया गया ताकि 31 मार्च 2016 तक राजस्व प्राप्ति लक्ष्य पूरा किया जा सके।

यह भी निदेशित किया गया कि जप्त वन पदार्थों, वाहनों इत्यादि की बिक्री के क्रम में यदि राशि की आवश्यकता हो तो राशि की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

Agenda Item No.13 (III)

लेखा समर्पण की स्थिति की समीक्षा की गई। सामान्य लेखा समर्पण की स्थिति लगभग ठीक पायी गयी। कैम्पा लेखा के समर्पण की स्थिति दयनीय पायी गयी। अन्य लेखा यथा–मनरेगा, जलछाजन, एफ0डी0ए0, बम्बू मिशन इत्यादि के लेखा समर्पण की स्थिति भी ठीक नहीं पायी गयी। सभी योजनाओं के लेखा का अद्यतन समर्पण यथाशीघ्र करने तथा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

Agenda Item No.13 (iv)

जप्त वाहन से संबंधित सूचनाएँ संकलित की गई है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को उनके अधीनस्थ वन प्रमंडल में कुल जप्त वाहन 819 (अंतिम रूप से अधिहरित) की अविलम्ब बिक्री करने की कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया ताकि निर्धारित राजस्व प्राप्त किया जा सके।

अधिहरण से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा की गई। प्रमंडलीय स्तर पर अधिहरण वादों के निष्पादन की गति काफी धीमी है। सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को इस विषय पर अलग से निर्देश दिए जाने की सहमति बनी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने स्पष्ट किया कि वादों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा दिनांक 25.01.2016 को दूरभाष पर की जाएंगी। यह प्रकिया भविष्य में लगातार जारी रहेगी।

(अनु0–सभी क्षे0मु0व0सं0 / मु0व0सं0 वन्य प्राणी / मु0व0सं0 एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू / सभी वन संरक्षक / सभी प्रादेशिक व0प्र0पदा0)

Agenda Item No.13 (V)

जप्त वन पदार्थ से संबंधित सूचनाएँ संकलित की गई है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्रतिवेदन अप्राप्त है। शेष क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर पूरे राज्य में कुल 2,045 घन मीटर काष्ठ 48,694 अदद बल्ला एवं 344.84 घन मीटर जलावन बिक्री हेतु उपलब्ध है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निर्देश दिया कि चूंकि काष्ठ perishable item है, अतः वैसे मामलों में भी जहां वाद न्यायालय में चल रहा है, वहां न्यायालय से अनुमति लेकर लकड़ी के निष्पादन की कार्रवाई करें।

बैठक में यह भी सहमति बनी कि सभी non specified forest produce का lot बना लें एवं वन निगम से non specified वन पदार्थ का दर प्राप्त होने पर जप्त वन पदार्थ की बिक्री की कार्रवाई करें।

(अनुपालन– सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी)

<u>Agenda Item No.</u>13 (VI)

भारतीय वन अधिनियम के तहत् दायर वादों की सूचना सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त है, जिन्हें संकल्ति किया गया। अधिहरण वाद की समीक्षा अलग से की गई एवं सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को आवश्यक निर्देश इस कार्यालय का पत्रांक 134 दिनांक 15.01.2016 द्वारा दिया गया ।

(अनु0–सभी क्षे0मु0व0सं0 / मु0व0सं0)

<u>Agenda Item No.</u>13 (VII) एवं (VIII)

मा0 उच्च न्यायालय झारखण्ड, रांची में दायर वादों से संबंधित प्रतिवेदन के संकलन करने के पश्चात् वैसे वादों की संख्या 57 है, जिनमें प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया है। परंतु इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने पर वैसे वादों की संख्या 98 जिनमें प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया है। वादों की सूची सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,/ मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

<u>Agenda Item No.15</u>

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के द्वारा पथ तट वन रोपण कार्यों में उपयोग होने वोले gabion को रंग करने का नई प्रकिया को प्रदर्शित किया, जो काफी अच्छी है। इस प्रक्रिया के तहत् 6. 5'× 4' के होज में डुबाकर गैबियन को रंगा जाता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के द्वारा सुदूर गांव में मवेशियों के टीकाकरण एवं हाथी के द्वारा पहुंचाए जाने वाले जान– माल की क्षति से बचाव एवं हाथियों के आचरण से गांव वाले को अवगत कराने हेतु प्रमंडल में आयोजित नुक्कड़ नाटक को प्रदर्शित किया गया। सुदूर गांव में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा इस प्रकार के नये प्रयास करने पर बल दिया गया।

बैठक में उपरोक्त के अलावे निम्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई ।

(I) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची द्वारा अवगत कराया गया कि रांची में अक्सर विशिष्टजनों एवं कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सूखे वृक्षों को काटने एवं हटाने हेतु आदेश प्राप्त होते रहते हैं

एवं इसके निमित्त निश्चित योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के द्वारा भी यह बात उठाया गया कि हजारीबाग रीजन में सड़क किनारे बहुत सारे वृक्ष हैं जो की सूख चुके हैं एवं गिरने की अवस्था में है । अतः उन वृक्षों का पतान, विदोहन इत्यादि बिन्दुओं पर भी नीतिगत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है ।

बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने यह भी अवगत कराया कि सड़क के किनारे वैसे वृक्ष का स्वामित्व वन विभाग का नहीं होता है। अतः ऐसे वृक्षों के पातन के पूर्व संबंधित विभागों की अनुमति बांछनीय है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अवगत कराया कि उन्हें बिहार के तर्ज पर खड़े वृक्षों के पातन के संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर भेजें जिस पर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने सूचित किया बिहार राज्य के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप झारखण्ड में भी वृक्षों के पातन, विदोहन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मंतव्य प्राप्त कर आवश्यक निर्णय शीघ्र लिया जायेगा ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने इसके निमित्त एक समिति का गठन का भी निर्देश दिया जिसके लिए अलग से कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के कार्यालय के द्वारा की जायेगी ।

(II) बैठक में यह बिन्दु भी उठाया गया कि कुछ पदाधिकारी बगैर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को सूचना दिये अवकाश में प्रस्थान कर जा रहे हैं । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा पूर्व में ही इस आशय का निर्देश दिया गया था जिसके अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पूर्व के निर्गत आदेश का अनुपालन सभी पदाधिकारी करेगें एवं मुख्यालय छोड़ने के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची को सूचित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी वन पदाधिकारी)

(III) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड वन विकास निगम, रांची के द्वारा बैठक को सम्बोधित किया गया । उन्होंने सूचित किया कि विशिष्ट प्रजाति (Specified forest produce) के दर का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जा चुका है । अतः अब विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों की बिक्री में कोई अड़चन नहीं है । उन्होंने यह भी अवगत कराया कि non specified forest produce का दर दिसम्बर 2015 तक प्रभावी था परन्तु वर्तमान में इसके दर के निर्धारण हेतु बोर्ड के अगामी बैठक में निर्णय ले लिया जायेगा ।

(IV) प्रबंध निदेशक, वन विकास निगम ने इसके अतिरिक्त सीसल वृक्षारोपण उसके विदोहन (processing), इससे फायदा किसानों के सामजिक आर्थिक स्थिति में संभावित लाभ इत्यादि पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया एवं उनके द्वारा बताया गया कि इसका वृक्षारोपण वन भूमि के बाहर भी प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया कि प्रबंध निर्देश इसके संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(अनुपालन– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– प्रबंध निदेशक, वन विकास निगम)

(V) बैठक में महालेखाकर के द्वारा लेखा निरीक्षण पर आपत्ति के संबंध में विचार–विमर्श किया गया । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब महालेखाकार की लेखा टीम आती है तो उसे सभी तथ्य स्पष्ट किये जाने चाहिये एवं उन्हें सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया जाना चाहिऐ और लेखा परीक्षण के समाप्ति पर Audit team के द्वारा की गई आपत्तियों को स्वयं कार्यालय प्रधान के द्वारा निराकरण हेतु प्रयास करना चाहिए ताकि कार्यालय के लेखा पर कोई गंभीर आपत्ति दर्ज न हो । वरीय पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कई बार समय पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण भी लेखा दल के द्वारा गंभीर आपत्ति दी जाती है एवं कालान्तर में विभाग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने यह भी निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारियों को चाहिये कि अपने स्थानान्तरण के समय एक handing over note निश्चित रूप से अपने प्रतिस्थानी को उपलब्ध करायें, जिसमें कार्यालय की सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख रहे । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस बात पर भी बल दिया कि उचित होगा कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी अपने प्रतिस्थानी को वनरोपण क्षेत्र का नक्शा, सी0डी0, [redacted] फोटोग्राफ इत्यादि भी उपलब्ध करा दें ।

(VI) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा अवगत कराया गया कि यह देखने में आ रहा है कि Forest Right Act, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरित भूमि का उल्लेख वन कार्य योजना में न किया जाता है और न उसकी सूचना वन संरक्षक, वन कार्य नियोजना को दी जाती है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया कि उपरोक्त दोनों सूचना का संकलन कर संबंधित वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल को सभी संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को 28.02.2016 तक उपलब्ध करा दें ।

(अनुपालन– सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन संरक्षक/ वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल)

(VII) बैठक में यह बात भी समाने आई है कि बार–बार निर्देश देने के बाद भी कई वन प्रमण्डों से सभी जंगल के अधिसूचित प्लॉट का रकबा की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । कुछ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं भेजा गया है । समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू को छोड़कर किसी भी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने पी0एफ0 एवं आर0एफ0 का पूर्ण रकबा संबंधित प्रतिवेदन में नहीं उपलब्ध कराया है । कुछ प्रमण्डलों से यदपि सूचना प्राप्त हुई है परंतु प्रमंडल के पी0एफ0 एवं आर0एफ0 का कुल रकबा बार–बार निर्देश देने के बाद भी प्रतिवेदन में अंकित नहीं किया

गया है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया कि पूर्व में भेजे गए पत्र के आलोक में वांछित प्रपत्र में पी0एफ0 एवं आर0एफ0 का प्रमंडलवार रकबा 10 दिनों के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन– सभी क्षे0मु0व0सं0 / मु0व0सं0 / व0सं0 / व0प्र0पदा0)

(VIII) बैठक में बोन्ड्री पीलर के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें यह बताया गया कि चांद तिहाड़ा, भूमि सर्वेक्षण का मुख्य component है, जिसका संधारण राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है । परन्तु चांद एवं तिहाड़ा की स्थिति अच्छी नहीं है । अतः बैठक में यह सहमति देने की चांद एवं तिहाड़ा के बगल में वन विभाग भी अपना एक पीलर तैयार कर लें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा अवगत कराया गया कि सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी अपने–अपने प्रमण्डल में चांद एवं तिहाड़ा की संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें, जिसके बगल में यदि वे वन विभाग का पीलर बनाने की आवश्यकत समझते हैं तब इसकी संख्या का आकलन कर लें एवं प्रस्ताव दें ताकि पीलर निर्माण हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराया जा सकें।

(अनुपालन सभी प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी)

(IX) बैठक को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सम्बोधित किया गया । विशेष सचिव ने जल छाजन के संबंध में प्रकाश डाला एवं सूचित किया कि कुछ प्रमण्डलों में MIS के संधारण की स्थिति अच्छी नहीं है । उन्होंने सूचित किया कि जल छाजन कार्य हेतु राशि उपलब्ध है । अतः सभी प्रमण्डल अपना MIS डाटा के इंट्री का अद्यतन कार्य सम्पादित करें एवं मुख्यालय से राशि प्राप्त करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अनुपालन सभी पी0आई0ए0 / वन प्रमण्डल पदाधिकारी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः IIE-19(A) 59/2015 188 **दिनांकः** 20/1/2016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः IIE-19(A) 59/2015 188 **दिनांकः** 20/1/2016

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, रांची / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: IIE-19(A) 59/2015 188 दिनांक: 20.1.2016

प्रतिलिपि: वन संरक्षक, वन रोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, रांची को विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।